अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/82

1. सत्यानारायण आत्मज देवलाल जी जाति माली ।
2. सोभाग आत्मज देवलाल जी जाति माली ।
3. ओमप्रकाश आत्मज देवलाल जाति माली ।
4. जशोदा बाई पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
5. हेमा पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
6. रामकन्या पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
7. सीता बाई बेवा देवलाल जी जाति माली निवासीगण ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्या: 198/दावा/2009

1. सत्यानारायण आत्मज देवलाल जी जाति माली ।
2. सोभाग आत्मज देवलाल जी जाति माली ।

3. ओमप्रकाश आत्मज देवलाल जाति माली ।
4. जशोदा बाई पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
5. हेमा पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
6. रामकन्या पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
7. सीता बाई बेवा देवलाल जी जाति माली निवासीगण ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 29.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 10.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/82

1. सत्यानारायण आत्मज देवलाल जी जाति माली ।
2. सोभाग आत्मज देवलाल जी जाति माली ।
3. ओमप्रकाश आत्मज देवलाल जाति माली ।
4. जशोदा बाई पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
5. हेमा पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
6. रामकन्या पुत्री देवलाल जी जाति माली ।
7. सीता बाई बेवा देवलाल जाी जाति माली निवासीगण ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम रानपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 797/1602 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 796/1607 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 815/1698 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर वादीगण पिछले 35–40 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 35–40 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । वादीगण अपीलान्ट ने अपने वाद को साक्ष्य एवं दस्तावेज से साबित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 निरस्त फमराया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाह रहे हैं जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रतिबन्धित है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक29.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा